आलस्य करते हुए रोज़ा न रखाने वाले का हुक्म

﴿ تارك الصوم تكاسلاً ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ تارك الصوم تكاسلاً ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

आलस्य करते हुए रोज़ा न रखने वाले का हुक्म

प्रश्नः

क्या रोज़ा छोड़ देने वाला काफिर (नास्तिक) हो जायेगा ? जबकि वह नमाज़ पढ़ता है और बिना किसी बीमारी या कारण (शरई उज़्र) के रोज़ा नहीं रखता है।

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

जिस व्यक्ति ने रोज़ा की अनिवार्यता को नकारते हुए उसे छोड़ दिया, तो वह सर्व सहमति के साथ काफिर है। और जिस व्यक्ति ने सुस्ती और

लापरवाही करते हुए रोज़ा छोड़ दिया तो कुछ विद्वान उसे काफिर ठहराने की तरफ गये हैं, किन्तु शुद्ध बात यह है कि वह काफिर नहीं है। लेकिन इस्लाम के एक ऐसे स्तंभ को जिसके अनिवार्य होने पर सर्वसहमति है, छोड़ने के कारण वह बहुत बड़े खतरे से दो चार है। और शासक की ओर से ऐसी सज़ा और कार्रवाई का पात्र है जो उसे इस बुराई से रोकने वाली है। तथा उस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करना और अल्लाह सर्वशक्तिमान से तौबा करना अनिवार्य है।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।

देखिये : **फतावा इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति (10/143).**